झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–184 / 2019

ज्ञान रंजन दास गुप्ता .....याचिकाकर्त्ता (एस)

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, धुर्वा, रांची।
3. प्राथमिक शिक्षा निदेशक, झारखण्ड सरकार, रांची
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला .....उत्तरदातागण

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री पी0ए0एस0 पति, अधिवक्ता।

विपक्षी गण के लिए : जी0पी0–II के ए0सी0

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

03 / 09.08.2019 याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर न करने के कारण डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5836 / 2017 खारिज कर दिया गया है। वह आगे कहता है कि उसके मुवक्किल ने रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 33 की नई और सुपाठ्य प्रति नहीं दी है।

डस दृश्य में, मैं इस याचिका की अनुमति देने क लिए इच्छुक हूँ। इस याचिका की अनुमति है। नतीजतन, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5836 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

हालांकि, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को दो सप्ताह के भीतर रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 33 की टाइप की गई प्रति दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिससे विफल होने पर, यह आदेश प्रवर्तन में नहीं आएगा।

(आनंदा सेन, न्याया0)

सी0एम0पी0 संख्या 172 वर्ष 2019

यह सिविल विविध याचिका सेकेंड अपील सं0–37/2012 को उसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण की प्राथर्ज्ञना के साथ दायर की गई है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता बीमार थे, इसलिए वह इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जब इस मामले को पुकारा गया था, क्योंकि दिनांक 20.12.2018 के आदेश द्वारा यह सेकेंड अपील सुनवाई के लिए तय की गई थी। इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता के पास इस सेकेंड अपील को प्रचालित करने के लिए बहुत अच्छा आधार है और यदि सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को उसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण नहीं किया जाता है, याचिकाकर्त्ता अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को इसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण किया जाय।

विपरीत पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, लेकिन वह यह निवेदन करता है कि याचिकाकर्त्ता के आचरण के कारण विपरीत पक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसे पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को अभिलेख पर विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को 500/– रूपये का भुगतान याचिकाकर्त्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने पर सेकेंड अपील सं0–37/2012 को इसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहित किया जाएगा और विफल होने पर, पुनर्ग्रहण करने का सशर्त आदेश अप्रभावी होगा और यह सिविल विविध याचिका बेंच को संदर्भित किये बिना खारिज कर दी जाएगी।

यदि अभिलेख पर विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को 500/– रूपये का याचिकाकर्त्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने का सबूत पेश करने पर, सेकेंड अपील सं0–37/2012 को उपयुक्त पीठ के समक्ष उपयुक्त शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें।

इस सिविल विविध याचिका को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)